कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 29.11.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–11 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 29.11.2023

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन मे साइबर सेल गोण्डा द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही से फ्रॉड गई धनराशि मिलने पर पींडित के चेहरे पर लौटी मुस्कान, गोण्डा पुलिस को ह्रदय से दिया धन्यवाद–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने जनपदीय साइबर सेल व थानों पर स्थापित साइबर हेल्प–डेस्क को साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु समय–समय पर जन–जागरुकता अभियान चलाकर साइबर अपराधो से बचाव हेतु जनसामान्य को जागरुक करने तथा साइबर फ्रॉड से पीड़ित अभियुक्तों के प्रार्थना पत्रों पर जल्द से जल्द कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में जनपदीय साइबर सेल टीम द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक साइबर के मार्गदर्शन में साइबर फ्रॉड से पीड़ित सूर्य नारायण तिवारी नि0 आवास विकास कॉलोनी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा जो यू0पी0आई वॉलेट अन्य खाते से लिंक होने से 8,000/– रूपया ट्रांसफर कर दिए थे कि शिकायत पर कार्यवाही करते हुए जाँच के पश्चात सम्बंधित बैंक/नोडल से समन्वय स्थापित कर आज दिनांक 29.11.2023 को आवेदक सूर्य नारायण तिवारी की साइबर फ्रॉड की गई धनराशि को आवेदक के खाते में वापस कराया गया। आवेदक को धनराशि 8,800/– वापस मिल जाने पर पीड़ित द्वारा पुलिस अधीक्षक गोण्डा एवं साइबर सेल टीम जनपद गोण्डा का आभार व्यक्त किया गया ।

साइबर सेल टीम–

01. प्रभारी साइबर सेल शादाब आलम
02. का0 हरिओम टण्डन
03. का0 मनीष कुशवाहा
04. का0 राजेन्द्र कुमार

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 29.11.2023

मारपीट करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 29.11.2023 को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर टिकरी कटराभोगचन्द्र से मारपीट करने के वांछित अभियुक्त धर्मेन्द्र चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने अपने परिजनों के साथ मिलकर दिनांक 01.03.2023 को पुरानी रंजिश के चलते वादिनी ललिता पत्नी लल्लू चौहान नि0 ग्राम सेमरा शेखपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के परिजनों को गाली–गुप्ता देते हुए लाठी/डण्डों से मारा–पीटा जिससे वादिनी के पति को चोटे आयी थी और व मौके पर बेहोश हो गए थे। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. धर्मेन्द्र चौहान पुत्र ठाकुर प्रसाद चौहान नि0 ग्राम सेमरा शेखपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–99/23, धारा 323,504,506,308 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 साहेब कुमार टीम।

<u>सराहनीय कार्य</u>
<u>प्रेस नोट</u>
<u>मीडिया सेल, जनपद गोण्डा</u>
<u>दिनांक 29.11.2023</u>

<u>गोण्डा पुलिस का गैर जमानती वारण्टियों के विरूद्ध बडी कार्यवाही, विशेष अभियान के तहत 30 नफर गैर जमानतीय वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः–</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे विभिन्न मा0न्यायालय से लम्बित गैर जमानतीय वारण्ट(एन0बी0डब्लू) के सम्बन्ध में विशेष अभियान के तहत अधिक से अधिक गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को कड़े निर्देश दिये गये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 29.11.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा के नेतृत्व में समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो ने थाना स्तर पर टीमों का गठन कर विशेष अभियान चलाया गया। जिसमें समस्त थानों से कुल 30 नफर गैर जमानतीय वारण्टी अभियुक्तों (को0 देहात पुलिस ने 01, थाना इटियाथोक पुलिस ने 02, थाना खरगूपुर पुलिस ने 01, थाना मनकापुर पुलिस ने 06, थाना धानेपुर पुलिस ने 04, थाना छपिया पुलिस ने 03, थाना तरबगंज पुलिस ने 01, थाना नवाबगंज पुलिस ने 02, थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने 03, थाना करनैलगंज पुलिस ने 02, थाना कटराबाजार पुलिस ने 02 व थाना कौड़िया पुलिस ने 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जो विभिन्न मा0न्यायालयों से काफी दिनों से वांछित चल रहे थे।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 29.11.2023

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से धारदार हथियार से मारपीट कर बेहोश कर देने के आरोपी अभियुक्त को हुई 05 वर्ष की सजा व रूपए 15,000 के अर्थदण्ड की सजा–

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप मारपीट के आरोपी अभियुक्त को 05 वर्ष कारावास व रु0 15,000 के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना को0 देहात पुलिस ने धारदार हथियार से मारपीट कर बेहोश कर देने के आरोप में अभियुक्त अनिल कुमार तिवारी उर्फ पीलू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अमित पाठक, मॉनिटरिंग सेल व थाना को0 देहात के पैरोकार हेड का0 रामजीत पटेल के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0 तृतीय गोण्डा ने 05 वर्ष के कारावास व रू 15,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता–

01. अनिल कुमार तिवारी उर्फ पीलू नि0 कृपाराम नि0 वैनिया थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–261/2019, धारा 308 भादवि थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।